जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः—जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./14/डी— 749 दिनांकः— 13.6.14

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की **104वीं बैठक दिनांकः 28.02.14 को प्रातः 10.30 बजे** जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन सभा कक्ष"** में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :—

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.	9	104:1	श्री शंकर दयाल को चक करोल योजना में बढे हुऐ क्षेत्रफल 36 वर्गमीटर आवंटन बाबत।	श्री शंकर दयाल निवासी वित्त विहार कॉलोनी को चक करोल योजना में आवंटित भूखण्ड संख्या 143 क्षेत्रफल 162.00 वर्गमीटर का मौके पर 36.00 वर्गमीटर क्षेत्रफल बढ जाने के कारण उपायुक्त के प्रस्ताव अनुसार आवंटी को बढा हुआ क्षेत्रफल छोटी पट्टी के तहत आवासीय आरक्षित दर की दुगनी दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
2.	10ए	104:2	बम्बाला पुलिया से हटाये गये गाडिया लौहारो के 43 परिवारो को पालडी मीणा वाम्बे आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु।	बम्बाला पुलिया से हटाये गये गाडिया लुहार के 43 परिवारों को पालडी मीणा वाम्बे आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन किये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया गया। इन परिवारो को असर्वेक्षित पुनर्वास पर्चियॉ दिनांक 23.08.2013 को उपायुक्त द्वारा जारी किया जाना अंकित किया गया है। श्री प्रकाश पुत्र नाथू लुहार को जारी की गई पर्ची प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नहीं है। उपायुक्त द्वारा बैठक में यह अवगत कराया गया कि पर्ची प्राप्त हो गई है। अतः उक्त सभी 43 परिवारों को योजना में उपलब्ध भूखण्डों में से प्रत्येक को 50 वर्गगज का एक भूखण्ड आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
3.	13	104:3	जेविविएनएल को 33/11 केवी सब स्टेशन हेतु छापराडी में पूर्व आवंटित खसरा नम्बर 201 के स्थान पर खसरा नम्बर 117 में भूमि आवंटन बाबत।	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को ग्राम छापराडी तहसील आमेर में 33/11 के.वी. सब स्टेशन स्थापित करने हेतु ग्राम छापराडी के खसरा नम्बर 201 में से क्षेत्रफल 0.50 हैक्टेयर आवंटित की गई थी। विभाग द्वारा उक्त भूमि उपयुक्त नहीं बताने के कारण इसके स्थान पर ग्राम छापराडी के खसरा नम्बर 117 रकबा 7.98 हैक्टेयर में से 0.50 हैक्टेयर भूमि का आवंटन नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प—3(208) नविवि/3/95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण में आवासीय आरक्षित दर के 50 प्रतिशत पर किये जाने का निर्णय लिया गया।
4.	7	104:4	श्री अमर जैन मेडीकल रिलीफ सोसायटी को 101.80 वर्गमीटर भूमि आवंटन के संबंध में।	प्रकरण का अवलोकन करने पर पाया गया कि संस्था पर राशि 59,27,020/—रू. लीज राशि के बकाया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि संस्था को नोटिस दिया जाकर 15 दिवस में बकाया लीज राशि जमा कराने हेतु लिखा जाए तथा राशि इस अवधि में जमा न कराये जाने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जाए।
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :—				
5.	7	104:4(1)	मेजर महेश कुमार शर्मा, कीर्ती चक्र धारक को राजस्थान नगर सुधार	राजस्थान नगर सुधार (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के नियम 17ए के अन्तर्गत 220 वर्गमीटर का

उपा० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर